उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन,14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 39–विनियम/काविनी–29/पाकालि/2015–11विनियम/14 दिनांक 28 अप्रैल , 2016

विषय :– सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षा एवं कार्यालय सहायक–III (लेखा) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता के स्थान पर कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा का प्राविधान करते हुये लिखित परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक मे मद संख्या–123(15) पर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुपालन मे, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षा एवं कार्यालय सहायक–III (लेखा) के पद के लिये आयोजित होने वाली सीधी भर्ती हेतु आदेश सं0–75–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/2015/11 विनियम/14 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा के प्राविधानों को एतद्द्वारा, निम्नानुसार संशोधित/परिवर्तित किया जाता है :–

1. **शैक्षिक अर्हता**

वर्तमान शैक्षिक अर्हता	प्रस्तावित संशोधित अर्हता
Assistant Accountant :-	**Assistant Accountant (सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा)** :-
(1) Bachelor Degree in Commerce from a University/Deemed University established by an Act of Central Govt. or any State Govt.	**(1)** Bachelor Degree in Commerce from a University/Deemed University established by an Act of Central Govt. or any State Govt.
(2) "O" level from "DOEACC" (NIELIT)/ "A" level /"B" level or "C" level certificate.	**(2)** –विलुप्त–
Office Assistant-III (Accounts) :-	**Office Assistant-III (Accounts) (सीधी भर्ती)** :-
(1) Bachelor Degree in Commerce from a University/Deemed University established by an Act of Central Govt. or any State Govt.	**(1)** Bachelor Degree in Commerce from a University/Deemed University established by an Act of Central Govt. or any State Govt.
(2) "CCC" from "DOEACC" (NIELIT)/ "O" level/ "A" level/ "B" level or "C" level certificate	**(2)** –विलुप्त–
(3) Minimum typing speed on computer-40 w.p.m. in Hindi.	**(3)** Minimum typing speed on computer-40 w.p.m. in Hindi.

Gayatri

(क्रमशः......2)

2. लिखित परीक्षा

सहायक लेखाकार (सीधी भर्ती)

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :–

(i) General English & General Hindi.

(ii) Arithmetic.

(iii) Accountancy, Auditing and Income Tax (conforming to the graduation standard)

The syllabus of Accountancy, Auditing And Income Tax is detailed below:-

Accountancy:-

(a) Trading and Profit & Loss Accounts and Balance Sheet.

(b) Bills of Exchange.

(c) Self balancing ledgers and sectional balancing.

(d) Capital & Revenue, Receipts & Payments, Income & Expenditure Accounts.

(e) Depreciation, Reserve & Provisions.

(f) Branch and Departmental Accounts.

(g) Double Accounts System.

(h) Bank Reconciliation Statement.

(i) Rectification of Errors.

(j) Balance-Sheet formats & classification.

Auditing and Income-Tax:-

(a) Object of Audit.

(b) Vouching and verification.

(c) Rights, Duties and Liabilities of Auditors.

(d) Income Tax, Provisions pertaining to income from salary and Provisions related to chapter-vi of Income tax Act 1961.

(e) Provision relating to TDS & forms to be filed with Income-Tax Department.

(क्रमशः......3)

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

सहायक लेखाकार (विभागीय परीक्षा)

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के द्वारा विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :–

(i) General Knowledge.
(ii) Arithmetic.
(iii) Book keeping & Accountancy (related to the Corporation Accounting).

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

कार्यालय सहायक–III(लेखा)–सीधी भर्ती

कार्यालय सहायक–III(लेखा) के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :–

(i) General English & General Hindi.
(ii) Arithmetic.
(iii) Elementary Book keeping & Accountancy.

(क्रमशः......4)

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक अतिरिक्त की कटौती की जायेगी।

(3)कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

3. कार्यालय ज्ञाप सं0–75–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/2015–11विनियम/14 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा अधिसूचित U.P.POWER CORPORATION LIMITED (ACCOUNTS STAFF) SERVICE REGULATION-2015 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। विनियमावली के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेगें।
4. उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 39–(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, बी–17 जे0 रोड, महानगर, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक के मद सं0–123(15) के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi

(गायत्री रस्तोगी)

अनु सचिव (विनियम)